भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 22

27 नवंबर, 2024 के लिए प्रश्न

उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को जन पोषण केंद्र बनाना

22. श्री इटेला राजेंदर:

श्रीमती डी. के. अरुणा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को जन पोषण केंद्र बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं तथा इसके लिए किन-किन राज्यों का चयन किया गया है;

(ख) विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय क्षेत्र के अमरोहा और हापुड़ जिलों में उचित मूल्य की कितनी दुकानों को ऐसा बनाया गया है;

(ग) पारदर्शिता लाते हुए, सख्त गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए, कुपोषण पर अंकुश लगाते हुए और प्रणाली में खामियों को रोकते हुए, क्या खाद्य सुरक्षा इकोसिस्टम को और मजबूत करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत भर में इन दुकानों के डीलरों ने अपनी आय का स्तर बढ़ाने की मांग की है; और

(ड.) यदि हां, तो उस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त डीलरों की मांग के सम्बन्ध में समाधान प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 27.11.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 22 (दूसरा स्थान) के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने दिनांक 20 अगस्त, 2024 को 60 उचित दर दुकानों (एफपीएस) को जन पोषण केंद्र में रूपांतरित करने के लिए एक प्रायोगिक (पायलट) कार्यक्रम शुरू किया है।

यह प्रायोगिक कार्यक्रम गुजरात (अहमदाबाद), तेलंगाना (हैदराबाद), राजस्थान (जयपुर) और उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद) के राज्यों/जिलों में शुरू किया गया है।

लाभार्थियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत सरकार ने यह प्रायोगिक कार्यक्रम एफपीएस डीलरों की वित्तीय व्यवहार्यता के संवर्धन के लिए शुरू किया है। संबंधित राज्यों के सहयोग से भारत सरकार, कार्यशील पूंजी के प्रावधान के लिए और पौषणिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ गैर-पीडीएस वस्तुओं की बिक्री के लिए बी2बी ऑनलाइन थोक एग्रीगेटर हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ भागीदारी करके इन एफपीएस दुकानों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए, इस विभाग ने उचित दर दुकानों के मालिकों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक उद्यमिता कौशल से लैस करने हेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया है।

(ग): भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संबंधित प्रचालनों की पारदर्शिता में सुधार करने, खाद्यान्नों के लीकेज और डायवर्जन को रोकने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप किए हैं।

प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारों के भाग के रूप में, पीडीएस की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य और खाद्यान्नों के लीकेज एवं डायवर्जन जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूर्णतः डिजिटल रूप दे दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर को लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (डीबीटी नकद अंतरण स्कीम को अपनाने वाले चंडीगढ़ और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा) में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है तथा 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति शृंखला को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के माध्यम से खाद्यान्नों के पारदर्शी (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) वितरण के लिए ईपीओएस उपकरण संस्थापित करके देश में कुल 5.43 लाख में से 5.41 लाख से अधिक उचित दर दुकानों को स्वचालित किया गया है।

.....2/-

इसके अतिरिक्त, इस विभाग ने भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के लिए खाद्यान्नों की खरीद से लेकर वितरण तक गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल तैयार और जारी किया है।

इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ तथा 6 माह से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) और पीएम-पोषण स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन पाने के पात्र हैं। 6 वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चे के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। लक्षित लाभार्थियों में पोषण मानदंडों में सुधार के लिए, सरकार ने दिनांक 25.01.2023 की अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पोषण मानदंडों में संशोधन किया है।

लक्षित आबादी के बीच फोर्टिफाइड चावल के एकसमान पोषण संबंधी प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) स्कीम और एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) स्कीम तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही है। इस पहल को तीन चरणों में बढ़ाया गया - चरण-I (2021-22) जिसमें आईसीडीएस और पीएम-पोषण को कवर किया गया, चरण-II (2022-23) जिसमें आईसीडीएस, पीएम-पोषण और टीपीडीएस के तहत 291 आकांक्षी और अधिक बोझ वाले जिले कवर किए गए और चरण-III (2023-24) जिसमें आईसीडीएस, पीएम पोषण और टीपीडीएस के तहत सभी जिले कवर किए गए। सरकार की प्रत्येक स्कीम में कस्टम-मिल्ड चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल प्रदान किया गया है और मार्च, 2024 तक फोर्टिफाइड चावल के वितरण का 100% कवरेज प्राप्त कर लिया गया है। मंत्रिमंडल ने दिसंबर, 2028 तक केन्द्रीय क्षेत्र की इस पहल (सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित) को जारी रखने का अनुमोदन दे दिया है।

इस अधिनियम में एक मजबूत/सुदृढ़ शिकायत निवारण और पारदर्शिता तंत्र अर्थात सतर्कता समितियां, सामाजिक लेखापरीक्षा आदि का भी प्रावधान है ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों को सुविधाजनक रूप से लागू किया जा सके।

.....3/-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केंद्र और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत प्रचालित की जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आवंटन और भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्ट डिपो तक इनके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आवंटन और वितरण, पात्र लाभार्थियों/परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना और उचित दर दुकानों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण और निगरानी संबंधी प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती हैं। एनएफएसए लाभार्थियों द्वारा संपर्क करने और उनकी शिकायतों के निवारण तथा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हेल्पलाइन नंबर 1967/1800-राज्य श्रेणी नंबर चालू है। इस विभाग में जब भी किसी स्रोत/माध्यम से लीकेज और भ्रष्टाचार संबंधी/सहित शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो जांच और उचित कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेजा जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी अपराध के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इस प्रकार, यह आदेश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इन आदेशों के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

(घ) और (ड.): समय-समय पर देशभर में पंजीकृत विभिन्न उचित दर दुकान डीलर संघों से उनके मार्जिन में वृद्धि के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इस मामले की जांच की गई और यह उत्तर दिया गया कि:

i. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित की जाती है। उचित दर दुकानों (एफपीएस) को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों की कार्य-प्रणाली का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि सहित प्रचालनात्मक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (7) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकान के मालिक के मार्जिन के रूप में एक धनराशि तय करेगी, जिसकी आवधिक समीक्षा की जाएगी ताकि उचित दर दुकान प्रचालनों की संधारित व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके। खंड 9 के उप-खंड (9) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकान के प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार के लिए उचित दर दुकानों पर टीपीडीएस के तहत वितरित खाद्यान्नों के अलावा अन्य जिंसों की बिक्री की अनुमति देगी।

.....4/-

ii. उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन/कमीशन/मानदेय आदि की वास्तविक दर निर्धारित करने और उचित दर दुकानों को भुगतान करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अंतर-राज्यीय संचलन और खाद्यान्नों की हैंडलिंग के प्रति किए गए व्यय को वहन करने के लिए केन्द्र सरकार केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के मानदंड और केंद्रीय साझेदारी का पैटर्न भी शामिल है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंडों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बढ़ाया गया था:

राज्यों की श्रेणी	एफपीएस मार्जिन के घटक	**पूर्व-संशोधित** मानदंड (दर, रुपये प्रति क्विंटल में) (दिनांक 31.03.2022 तक)	**संशोधित मानदंड** (दर, रुपये प्रति क्विंटल में) (दिनांक 01.04.2022 से)
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सामान्य श्रेणी	एफपीएस डीलरों का मार्जिन	70	90
	अतिरिक्त मार्जिन	17	21
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष श्रेणी	एफपीएस डीलरों का मार्जिन	143	180
	अतिरिक्त मार्जिन	17	26

राज्य सरकारें वास्तविक दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो नियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केन्द्रीय सहायता नियमों में विनिर्दिष्ट दरों अथवा सम्पूर्ण राज्य के लिए वास्तविक औसत दरों, जिन पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में व्यय किया गया था, जो भी कम हो, तक ही सीमित होगी।

iii. वर्तमान में, मार्जिन में अतिरिक्त वृद्धि का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****